प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 17.07.2025**

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, वादी की पत्नी से छीना गया सामान और अवैध असलाह-कारतूस बरामद हुए।**
- **अभियुक्त पर जनपद के विभिन्न थानों पर 15 अभियोग हैं, पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 16.07.2025 को समय 21.30 बजे R.S.P.L. फैक्ट्री से करीब 200 मीटर हांसेमऊ की तरफ सर्विस रोड पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सवार सूरज कंजड निवासी अज्ञात व एक व्यक्ति अज्ञात के द्वारा ऋषभ द्विवेदी पुत्र वेद प्रकाश द्विवेदी निवासी निगोही थाना बरौर जनपद कानपुर देहात की पत्नी से हैंडबैग जिसमें 2100 रुपये व ऋषभ की बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक तथा ऋषभ की पत्नी का मोटोरोला मोबाइल फोन G85 छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17.07.2025 को ऋषभ द्विवेदी पुत्र वेद प्रकाश द्विवेदी निवासी निगोही थाना बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 234/2025 धारा 304 बीएनएस बनाम 1.सूरज कंजड पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 2. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के तत्काल अनवारण हेतु पंजीकृत अभियोग में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात द्वारा दो टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 17.07.2025 को थाना भोगनीपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शाम को जो हांसेमऊ के पास दो व्यक्तियों द्वारा एक महिला का बैग व सामान छीन लिया था, वे अपराधी एक मोटर साइकिल से पिलखिनी गांव से कहीं निकलने के फिराक में है। उक्त सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिये घेराबंदी की गयी, जिसमें पिलखिनी बम्बा रोड पर अपराधियों द्वारा अपने आपको घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें आरक्षी 1076 भानु प्रताप सिंह के दांहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए अभियुक्त जिनका नाम सूरज पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के बायें पैर में गोली से घायल हो गया, जिसे समय करीह 03.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज तथा 1000 रुपए, 01 लेडीज पर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक व 01 चोरी की मोटरसाइकिल नं0 UP77P8205 बरामद की गयी। घायल पुलिसकर्मी व अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1)/317(2) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त थाना रूरा पर पंजीकृत गैंगस्टर के अभियोग में वांछित भी था तथा इसके विरुद्ध लगभग 15

अभियोग पंजीकृत हैं। 01 अन्य अभियुक्त बारिश व अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही फरार अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मी से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गयी एवं अभियुक्त से पूंछताछ की गयी व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. सूरज पुत्र सन्नू निवासी ग्राम पिलखिनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया गया कि कल शाम को मैंने अपने दोस्त बिलौआ के साथ हांसेमऊ के पास एक आदमी व एक औरत मोटर साइकिल से जा रहे थे। औरत अपने हाथ में पर्स लिये हुए थी, जिसको छीनकर हम लोग भाग गये, पर्स में 2100 रूपये मिले थे, जिसमें से 100 रूपये खर्च कर दिये थे तथा 1000-1000 रूपये हम लोगों ने बांट लिये थे। पर्स में एक मोबाइल व एक पासबुक भी थी। मोबाइल बिलौआ के पास में है तथा पर्स और पासबुक गाडी की डिग्गी में रख दी थी। यह मोटर साइकिल तीन दिन पहले मैंने बिलौआ के साथ अकोढी मोड़ के पास ठेके के पास से चोरी की थी ।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज तथा 1000 रुपए, 01 लेडीज पर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक व 01 चोरी की मोटरसाइकिल नं0 UP77P8205 बरामद की गयी।

अभियुक्त सूरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 454/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0485/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 649/17 धारा 138 बी विद्युत अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0730/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 798/19 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 744/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 745/19 धारा 392/411 भा0दि0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0 896/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
9. मु0अ0सं0 62/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
10. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
11. मु0अ0सं0 120/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
12. मु0अ0सं0 371/2024 धारा 109/309(6)/317(2)/106 बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
13. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
14. मु0अ0सं0 182/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

15. मु0अ0सं0 234/2025 धारा 304/109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस